प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा रहे हैं : मिश्र

बीकानेर,(कासं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जांन गंवा रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इसके मद्देनजर अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाना जरूरी है।

राज्यपाल मिश्र ने सोमवार को रविन्द्र रंगमंच पर इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा नगर विकास न्यास, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद तथा सम्मान समारोह में ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने अंगदान कर दूसरों को नया जीवन देने वाली महान आत्माओं को नमन कर कहा कि यह मानवता के लिए समर्पण से जुड़ा कार्य है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का देश है, जिन्होंने असुरों से रक्षा के लिए शस्त्र बनाने के लिए अपनी देहदान कर दी। उनकी हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया जिससे इन्द्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति दस लाख आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं। वहीं प्रति दस लाख की आबादी पर स्पेन में 36, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं।

मिश्र ने कहा कि स्पेन अंगदान और प्रत्यारोपण के मामले में अग्रणी है। यूरोपियन यूनियन ने भी अंगदान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत में भी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन इस दिशा में काम कर रहा है।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया।

- **इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद और सम्मान समारोह आयोजित**

राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस के अंगदान जागरूकता कार्यक्रम से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आव्हान किया कि राजस्थान में अंगदान की जागरूकता के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए और राज्य में अंगदान से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हो। जहां अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरण मौजूद हैं, वे सभी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के साथ पंजीकृत हों।

उन्होंने कहा कि यदि अंगदान में वाणिज्यिक प्रयोग की प्रवृति यदि पाई जाती है तो वह समाज के लिए कलंक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अंगदान और प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित किया है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में निरंतर कार्यरत है और अंगदान को जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसपी मेडिकल कॉलेज ने अंगदान जागरूकता और प्रत्यारोपण में कई सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने आव्हान किया कि मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों को अंगदान की महत्ता बताई जाए, जिससे वे अपने पेशेवर जीवन में इस नेक कार्य को प्रोत्साहित कर सकें।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला ने कहा कि सोसायटी आपदा प्रबंधन के साथ सामाजिक सरोकारों के काम कर रही है। अंगदान के प्रति जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। कर्मकांडी पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के स्टेट वाइस चेयरमैन विजय खत्री ने स्वागत उद्बोधन दिया।

उन्होंने सोसायटी की अब तक की गतिविधियों की जानकारी दी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल ने कहा कि बीकानेर में जल्दी ही अंग प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह अंग प्रत्यारोपण महायज्ञ है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। राजस्थान अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के सलाहकार डॉ. धर्मेश कुमार शर्मा ने अंगदान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता पर प्रस्तुतिकरण दिया।

राज्यपाल ने अंगदान के प्रति जागरूकता से जुड़े पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान अंगदाता स्व. आदित्य नैण के पिता पूर्णाराम नैण ने उद्बोधन दिया। राज्यपाल ने पूर्णाराम नैण का अभिनंदन किया।

डॉ.यदुनाथ सिंह बी.टी.यू. के डीन अकादमिक बने

बीकानेर,(कासं)। कुलपति प्रो. अजय कुमार शर्मा ने डॉ. यदुनाथ सिंह को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का डीन अकादमिक नियुक्त किया है।

बीटीयू के जनसम्पर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ नें बताया कि बीटीयू कुलसचिव नें इस आशय के आदेश जारी किए हैं। डॉ. सिंह की नियुक्ति पर विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों, शिक्षाविदों, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हितधारकों और शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं प्रदान की और प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर डॉ. सिंह नें सभी शुभचिंतकों और कुलपति प्रो. अजय कुमार शर्मा का आभार प्रकट किया। ज्ञातव्य है कि डॉ. यदुनाथ सिंह पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में डॉ. सिंह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल के सदस्य भी है। इस अवसर पर नवनियुक्त डीन अकादमिक डॉ. यदुनाथ सिंह नें कहा कि डीन अकादमिक के रूप में उनका प्रयास रहेगा कि शोध-अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ उच्च शिक्षा के निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक शिक्षा प्रदान की जा सके।

उनकी हमेशा प्राथमिकता रहेगी कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बदलते स्वरूप को अपनाते हुए संबद्ध महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अकादमिक नवाचार, युवा विद्यार्थियों के कौशल विकास, नवीनतम एवं लाभदायक अकादमिक योजनाओं, रोजगारपरक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक अनुसंधान के माध्यम से विश्वविद्यालय को विकसित किया जाए।

सार-समाचार

मृतक की पत्नी को 15 लाख का चैक

पूर्व पार्षद शिव कुमार रंगा ने सत्यनारायण रैगर की पत्नी को बी.के.ई.सी.एल. की ओर से पंद्रह लाख रूपये का चैक सौंपा।

बीकानेर,(कासं)। भीनासर बस स्टैंड के पास गत 5 जुलाई को विद्युत पोल की चपेट में आने से मृतक सत्यनारायण रैगर के परिजनों को बीकेईसीएल द्वारा पंद्रह लाख रूपए मुआवजे का चैक सोमवार को दिया गया। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने सत्यनारायण रैगर के परिजनों से बातचीत के दौरान इस विषय की मध्यस्थता करवाई थी। व्यास के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व पार्षद शिवकुमार रंगा ने सत्यनारायण रैगर की पत्नी को यह चैक सौंपा। इस दौरान बीकेईसीएल के मैनेजर संजय झा और तपन कुमार मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि रैगर का विद्युत पोल की चपेट में आने से निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिजनों ने मोर्चरी के आगे एकत्रित होकर मुआवजे की मांग की। विधायक व्यास भी जानकारी मिलने पर मोर्चरी पहुंचे और बीकेईसीएल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाई। इस दौरान उन्होंने मृतक परिवार के परिजनों को बीकेईसीएल द्वारा पंद्रह लाख रूपये और एक परिजन को संविदा नौकरी देने और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 5 लाख रूपए दिलवाने की बात कही। विधायक ने कहा कि संकट के इस दौर में वे पीड़ित परिजनों के साथ हैं। आगे भी उनकी हरसंभव मदद की जायेगी।

1100 तुलसी के पौधों का वितरण

राम मंदिर परिसर में 1100 तुलसी व फूलों के पौधों का निशुल्क वितरण किया गया।

बीकानेर,(कासं)। विश्वकर्मा गेट के बाहर राम मंदिर परिसर के महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को बर्फ की झांकी सजाई गई। भगवान शिव का अभिषेक, पूजन व पंचाक्षर मंत्र जाप का आयोजन हुआ। मंदिर परिवार की ओर से पवन पुरोहित के नेतृत्व में 1100 तुलसी व फूलों के पौधों का वितरण निशुल्क किया गया। मंदिर के संस्थापक ट्रस्टी पवन पुरोहित ने बताया कि जयपुर से हार सिंगार, कुन्डल, गुलाब, चांदनी डबल व चांदनी सिंगल तथा तुलसी के पौधे लाकर प्रत्येक दर्शनार्थी का हर-हर महादेव, जयश्री राम के जयकारों के साथ वितरित किया गया। मंदिर में बर्फ की झांकी को जयपुर के कलाकारों से सजाया। झांकी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पास आइसक्रीम, खिलौने आदि की अस्थाई दुकानें लगने से मेले का सा माहौल था।

शिवालयों में अभिषेक-पूजन

बीकानेर,(कासं)। भगवान शिव की भक्ति-उपासना के मास सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में रूद्राभिषेक, पूजन के दौर चले। मंदिरों में अलसुबह से प्रारंभ होने वाला भगवान शिव के अभिषेक, पूजन, श्रृंगार, आरती का क्रम रात तक जारी रहा। इस दौरान शिवभक्त भोलेनाथ का जल, गंगाजल, दूध, दही, शर्करा, शहद, पंचामृत, घी, ईख रस, विजया सहित विभिन्न द्रव्यों से रूद्राभिषेक किया। भगवान शिव का आक, धतूरा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार किया। सावन के सोमवार को लेकर अनेक शिवालयों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया सावन सोमवार पर बड़ी संख्या में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिरों में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई। सावन सोमवार को लेकर रविवार को बाजारों में रौनक रही। सोमवार पर शिवालयों और घरों में होने वाले महादेव के अभिषेक-पूजन के लिए दूध, दही, पुष्प मालाएं, बिल्वपत्र, प्रसाद के लिए मिठाइयों आदि की बिक्री रात तक चली। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। वहीं पूजन सामग्री, इत्र, ऋतु फल इत्यादि की खरीदारी भी चलीं। सावन में शहर में जगह-जगह सवा लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन व अभिषेक के अनुष्ठान चल रहे है।

विवादित भूखंड पर रिसीवर नियुक्त, छावनी बना सुखाड़िया मार्ग

श्रीगंगानगर, (कासं)। सुखाडिया मार्ग पर एक होटल के पास करोड़ों रूपयों के कीमती भूखंड के विवाद को लेकर कब्जा धारक पक्ष और पुलिस में बीच टकराव होने की आंशका शुरू हुई जो बनी रही। कानून व्यवस्था भंग होने की संभावनाओं को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड चौराहे से लेकर विवादित भूखंड तक सुखाड़िया मार्ग पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

- **पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर इस भूखंड पर नियुक्त रिसीवर जवाहर नगर के एसआई नरेश कुमार को ताले पर सील लगाकर चाबी दी**

पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर इस भूखंड पर रिसीवर जवाहर नगर के एसआई नरेश कुमार को बना दिया। बकायदा ताले पर सील लगाकर चाबी दी गई। उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी और तहसीलदार नंदलाल बाजिया ने यह प्रक्रिया अपनाई। एडशिनल एसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा और सीओ सिटी बी आदित्य, कोतवाली सीआई पृथ्वीपाल सिंह आदि ने दशमेश तरना दल के जिलाध्यक्ष जत्थेदार राज सिंह खालसा और कब्जाा धारक राजू माली से वार्ता की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों का साफ कहना था कि इस भूखंड पर अब रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हैं। ऐसे में यहां धरना नहीं लगाया जा सकता। इस दौरान भूखंड मालिक अजय सहारण को बुलाकर पूरी प्रक्रिया समझाई गई।

इस दौरान जवाहर नगर पुलिस ने पूरे भूखंड का भौतिक सत्यापन भी किया। इससे पहले धरने पर बैठे राजू माली के समर्थन में दशमेश तरना दल से जुड़े निहंग काफी संख्या में एकत्रित हो गए। ये लोग पुलिस बल से भिड़ने को तैयार हो गए। तलवारें हाथों में लेकर पुलिस से टकराव करने की तैयारी में थे। पुलिस के गुप्तचरों के फीडबैक पर पुलिस का जाब्ता बढ़ा दिया। इसके साथ साथ हाउसिंग बोर्ड चौराहे से लेकर शांति स्तम्भ तक सुखाड़िया मार्ग पर ट्रैफिक वन-वे किया गया।

भूखंड के पास होटल में भूखंड मालिक का परिवार अपने समर्थकों के साथ सुबह से डेरा डाले हुए था। इस परिवार के समर्थकों ने टकराव की बजाय सुलह से यह विवाद टालने के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया।

सावन लहरिया उत्सव 4 को

बीकानेर,(कासं)। सावन महिने में महिलाओं के पसंदीदा परम्परागत राजस्थानी पहनावे लहरिया उत्सव मनाया जायेगा। लहरिया उत्सव के साथ राजस्थानी घूमर नृत्य, गीत संगीत, मॉडलिंग के अलावा कई रंगारंग मंनोरजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

महिलाओं को हुनरमंद व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लहरिया का आयोजन रखा गया है। उन्हें नेल कला एवं विभिन्न रोगों से निजात दिलाने के लिए थैरेपी की भी जानकारी दी जायेगी। होटल राजमहल 4 अगस्त को आयोजित होगा। जिसमें कोई भी महिला, बालिकाएं भाग ले सकेंगी। आयोजक चंचल सेन थैरेपिस्ट, जाह्नवी सोनी नेल आर्टिस्ट ने बताया कि प्रतियोगिता में बालिकाएं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। लहरिया उत्सव में राजस्थानी वेशभूषा में सज-धजकर गीतों के सजीव प्रदर्शन महिलाओं द्वारा नृत्य संगीत के साथ किया जायेगा।

बकाया डी.पी.सी. की मांग को लेकर धरना कल

बीकानेर,(कासं)। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 4 सत्र से बकाया डीपीसी करने व क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता पद सृजन की मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा द्वारा शिक्षा निदेशालय बीकानेर पर 31 जुलाई को सांकेतिक धरना दिया जायेगा।

- **वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा द्वारा शिक्षा निदेशालय पर सांकेतिक धरना कल देंगे**

रेस्टा प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी ने बताया कि पिछले 4 सत्रों से बकाया चल रही वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी करने व पिछले 3 सत्र में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता पद स्वीकृत करने की मांग संगठन द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। लेकिन विभाग व सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिना किसी वजह के डीपीसी को लटकाया जा रहा है।

क्रमोन्नत विद्यालयों में क्रमोन्नति के 3 वर्ष बाद भी व्याख्याता पद स्वीकृत नहीं किये जा रहे है। रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता बसन्त कुमार ज्याणी ने बताया कि संगठन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा कई बार शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर डीपीसी व पद सृजन की मांग करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण सरकार व विभाग का ध्यानाकर्षण करवाने के लिए संगठन के बैनर तले वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा सांकेतिक धरना दिया जायेगा। जिसमें प्रदेशभर के वरिष्ठ अध्यापक बीकानेर कूच करके शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी, मुख्य संरक्षक सुरेन्द्र सहारण, प्रदेश सभाध्यक्ष टोडाराम गोलिया आदि मौजूद थे।

संविदा कर्मी ठेका प्रथा खत्म करने की मांग

बीकानेर,(कासं)। संविदा कर्मियों ने विधायक जेठानंद व्यास के कार्यालय एवं सीएमएचओ को आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग का ज्ञापन दिया। आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग की गई है।

- **आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग की**

सोमवार को संविदा ठेका कर्मचारियों बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के कार्यालय में एक ज्ञापन की कॉपी दी तथा एक कॉपी सीएमएचओ को दी गई। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान उनके पीए के द्वारा यह आश्वासन दिया गया की इसे 2 या 3 दिन के भीतर संज्ञान में लिया जायेगा।

संविदाकर्मी प्रकाश किराडू ने बताया कि संविदा कर्मचारियों को शोषण मुक्त कराने के लिए ठेका प्रथा को समाप्त कर अक्टूबर 2023 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान आरएलएसडीसी बोर्ड गठन किया था। इस बोर्ड को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया है।

सी.ए. फाउंडेशन के मॉक टेस्ट

बीकानेर,(कासं)। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बीकानेर ब्रांच के अध्यक्ष सीए जसवंत सिंह बैद ने बताया कि सीए फाउंडेशन व इंटर मीडिएट की सितम्बर 2024 में होने वाली मुख्य परीक्षा को देखते हुए प्रथम मॉक टेस्ट सीरीज का आगाज आज हुआ।

मुख्य परीक्षा की तैयारी को परखने के लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिसमें विद्यार्थी अपनी तैयारी का आंकलन कर सकता है। ब्रांच सीकासा अध्यक्ष सीए राहुल पच्चीसिया ने कहा कि द्वितीय सीरीज का आगाज 16 अगस्त से आईसीएआई भवन में शुरू होगा। विद्यार्थियों से आव्हान किया गया है कि सीरीज में भाग लेकर अपनी मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है।

ट्रेजरी में बजट नहीं होने से वेतन को तरस रहे शिक्षक

बीकानेर,(कासं)। राज्य के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में कार्यरत राज्य भर के शिक्षकों को जून व जुलाई 2024 के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षक संघ एलीमेंट्री सैकण्डरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) ने राज्य के मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग को पत्र भेजकर ट्रेजरी के पूल बजट में पर्याप्त राशि आवंटन करने की मांग की है।

शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने पत्र में बताया कि प्रदेश में समस्त कोषालयों में सुगम पूल बजट का प्रावधान किया है। दूसरी ओर राज्य के अनेक कोषालय तथा उप कोषालय द्वारा बजट हैड में जून माह के वेतन बिलों पर अपर्याप्त बजट का आक्षेप लगाकर वेतन बिल लौटाए जा रहे हैं। जिससे शिक्षकों तथा कार्मिकों को जून माह का वेतन भुगतान नहीं मिला। साथ ही जुलाई माह भी खत्म होने में दो दिन शेष है।

- **जून माह के वेतन बिलों पर अपर्याप्त बजट का आक्षेप लगाकर वेतन बिल लौटाए जा रहे हैं**

संगठन की जानकारी में आया है कि राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई तक के लिए लेखा अनुदान पारित करने के बाद वित्त विभाग द्वारा सभी कोषालय को बजट जारी किया है। प्रदेशाध्यक्ष सलावद ने बताया कि बजट के अभाव में राज्य के हजारों शिक्षकों तथा कार्मिकों को दो माह जून और जुलाई का वेतन नहीं मिल सकेगा।

संगठन का मानना है कि केवल व्यवस्था तथा प्रक्रिया के अभाव में राज्य के शिक्षकों तथा कार्मिकों को वेतन से वंचित रखना उचित नहीं है। वेतन समय पर नहीं मिलने से राज्य भर के शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना रहा है। जुलाई माह में बच्चों की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताबें सहित स्कूल बस आदि के किराए का भुगतान करना पड़ता है लेकिन वेतन नहीं मिलने से इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सत्य-तथ्य और कथ्य लोगों के सामने आना चाहिए : आचार्य मनोज दीक्षित

बीकानेर,(कासं)। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बीकानेर महानगर इकाई द्वारा समारोह आयोजित कर होटल राजमहल के सभागार में गुरू पूर्णिमा पर्व मनाया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने गुरू पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरू का दर्जा भारतीय संस्कृति में सदा पूजनीय रहा है। सत्य-तथ्य और कथ्य लोगों के सामने आना चाहिए। बीकानेर में शिक्षा के विकास हेतु बीकानेर महाराजा गंगासिंह और मदनमोहन मालवीय के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्य परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. अन्नाराम शर्मा ने साहित्य परिषद की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी डॉ. नरेश

अखिल भारतीय साहित्य परिषद बीकानेर महानगर इकाई द्वारा आयोजित गुरू पूर्णिमा पर्व कार्यक्रम को कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने संबोधित किया।

गोयल ने कहा साहित्य समाज की पूंजी है जो अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाती है। इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। प्रस्तावना इकाई के संरक्षक विनोद ओझा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में इकाई के महामंत्री जितेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा परिषद गीत गाया गया। इस समारोह में शहर के अनेक गण्य मान्य साहित्यकार एवं प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

- **विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों का सम्मान किया**

समारोह में साहित्य परिषद द्वारा सात भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट सृजन करने वाले नौ रचना धर्मियों का सम्मान किया गया। संस्था के सचिव जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हिन्दी भाषा के लिए रवि पुरोहित और प्रो. डॉ. अजय जोशी, राजस्थानी भाषा के लिए कमल रंगा तथा शंकरसिंह राजपुरोहित, संस्कृत भाषा में इला पारीक, उर्दू भाषा के लिए डॉ. जियाउल हसन कादरी, सिंधी भाषा के लिए मोहनलाल थानवी, ब्रज भाषा के लिए प्रमिला गंगल तथा मगधी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. चंचला पाठक को सम्मानित किया गया।

भाजपा जूनागढ़ मंडल कार्यसमिति की बैठक

बीकानेर,(कासं)। भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ मंडल की कार्यसमिति बैठक का आयोजन गांधीनगर स्थित पार्टी के संभाग कार्यालय में पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय सिंह पडिहार की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक में मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, शक्ति केन्द्र संयोजक, मोर्चा पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, मंडल क्षेत्र के जिला पदाधिकारी एवं अन्य अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडल अध्यक्ष अजय खत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए मंडल संगठन द्वारा हाल ही में आयोजित की गई संगठनात्मक एवं अन्य गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय सिंह पडिहार ने कहा कि जूनागढ़ मंडल संगठन की गतिविधियों में सदैव अव्वल स्थान पर रहा है। मंडल कार्यकर्ता पार्टी गतिविधियों को निभाने में `अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101086 **लोक सूचना** दिनांक : 29.07.2024

श्री राजकुमार कक्कड़ पुत्र श्री बनारसीदास निवासी 56 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कालू राम निवासी 86 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री राजकुमार कक्कड़ पुत्र श्री बनारसीदास व श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कालू राम	चक 6 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 5/1 में 0.201 है. में से 0.091 है. किला नं. 5/2 में 0.052 है. में से 0.036 है. (खाला) किला नं. 6/1 में 0.228 है. किला नं. 6/2 में 0.025 है. (खाला) किला नं. 07 में 0.253 है., यथाकुल 0.633 हैक्टे.	कुल 0.633 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29.07.2024 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101068 **लोक सूचना** दिनांक : 26.07.2024

श्रीमती सुमन कांडा पत्नी श्री दीपक कांडा निवासी मकान नं. 1-बी-06, जवाहर नगर, तहसील के पास, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती सुमन कांडा पत्नी श्री दीपक कांडा	चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 68 के किला नं. 13/2 में 0.1265 है. किला नं. 18 व 23 प्रत्येक में 0.253 है. यथाकुल 0.6325 हैक्टेयर	कुल 0.6325 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.07.2024 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101067 **लोक सूचना** दिनांक : 29.07.2024

श्री दीपक कुमार गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल निवासी मकान नं. 1-बी-06, जवाहर नगर, तहसील के पास, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री दीपक कुमार गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल	चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 68 के किला नं. 03 व 08 प्रत्येक में 0.253 है. किला नं. 13/1 में 0.1265 है. यथाकुल 0.6325 हैक्टेयर	कुल 0.6325 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29.07.2024 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/100991 **लोक सूचना** दिनांक : 29.07.2024

श्री राजकुमार कक्कड़ पुत्र श्री बनारसीदास निवासी 56 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कालू राम निवासी 86 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री राजकुमार कक्कड़ पुत्र श्री बनारसीदास व श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कालू राम	चक 6 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 3/1 में 0.227 है. में से 0.113 है. किला नं. 3/2 में 0.026 है. में से 0.013 है. (खाला) किला नं. 4/1 में 0.228 है. किला नं. 4/2 में 0.025 है. (खाला) किला नं. 5/1 में 0.201 है. में से 0.110 है. किला नं. 5/2 में 0.052 है. में से 0.016 है. (खाला) किला नं. 8 में 0.253 है. में से 0.126 है., यथाकुल 0.632 हैक्टे.	कुल 0.632 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29.07.2024 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर